पुस्तकालय

2514
30/3/06

सत्यमेव जयते

असंशोधित

2 3 MAR 2006

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

(भाग]–कार्यवाही–प्रश्नोत्तर)

प्रतिवेदन शाखा
गै०स०प्रै०सं०...555...तिथि..3.9.3...

बि०स० मु० (एस० ए०) 219—मामे—1,000—9-6-2004

अध्यक्ष :माननीय मंत्री, नगर विकास विभाग ।

तारांकित प्रश्न संख्या- १०११

श्री अश्विनी कुमार चौबे, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, १- उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । बिहार नगर पालिका अधिनियम १९२२ की धारा ३७ एवं पटना नगर निगम अधिनियम १९५१ की धारा ५५ के प्रावधानानुसार शहरी स्थानीय निकाय कर्मियों के वेतनमान, वेतन भत्ते आदि के संबंध में निर्णय लेने एवं भुगतान का दायित्व संबंधित नगर निकाय का है । ७४वें संविधान संशोधन के आलोक में नगर निकाय संवैधानिक स्वायत्तशासी संस्था है । अपने कर्मचारियों को देय सुविधा के संबंध में अपनी वित्तीय एवं अन्य स्थितियों को दृष्टिगत करते हुए निर्णय लेने के लिए वे स्वयं सक्षम हैं ।

२- उत्तर आंशित रूप से स्वीकारात्मक है । स्थिति यह है कि दिनांक- २० जनवरी,२००४ से २१ जनवरी, २००५ तक की हड़ताल मुख्यतः सरकारी कर्मचारियों की थी तद्नुसार सरकार द्वारा समझौता के आलोक में समुचित निर्णय लिया जा चुका है । स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के लिए निर्णय अपनी वित्तीय स्थिति के आलोक में संबंधित निकाय को लेना है । राज्य सरकार के स्तर पर इस संबंध में कोई निर्णय से इसकी स्वायत्ता खण्डित होगी ।

३- उपरोक्त खंडों के उत्तर के आलोक में प्रश्न ही नहीं उठता है ।

श्री अरूण सिंह :अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं यह जानना चाहता हूँ कि २१.१.२००५ को जो समझौता हुआ था जिसमें स्थानीय निकाय के कर्मचारी संगठन के लोग भी थे, उसमें कहा गया था कि राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं उनके समरूप निकायों के कर्मचारियों को सभी सुविधा दी जाएगी, तो मैं जानना चाहता हूँ कि उस समझौते के आधार पर सरकार निकाय कर्मचारियों को सुविधा देना चाहती है या नहीं देना चाहती है ?

श्री अश्विनी कुमार चौबे, मंत्री : महोदय, मैंने कहा कि राज्य सरकार सरकारी कर्मचारियों के लिए ही संकल्पित थी और जहाँ तक निकाय के कर्मचारियों की बात है, निकाय स्वतंत्र है, स्वायत्तशासी संस्था है और उसमें कोई निर्णय सरकार करती है तो वह निश्चित रूप से अनुचित होगा । इसलिए निकायों को इस संबंध में स्वयं निर्णय लेना है ।

श्री रामदेव वर्मा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अधिनियम का हवाला दिया, उसके तहत निकाय स्वतंत्र है, यह ठीक है । सरकार ने नन-गजटेड इम्पलाइज के साथ एग्रीमेंट किया, आप उस निकाय को अनुदान देते हैं और आप जो एग्रीमेंट करते हैं, आपको निकायों को निर्देशित करने का हक है या नहीं ? आपने उनके साथ एग्रीमेंट किया, आप निकाय को क्यों नहीं निर्देशित कर सकते हैं ?

श्री अश्विनी कुमार चौबे, मंत्री : महोदय, मैंने कहा कि राज्य सरकार की बाध्यता उसके लिए नहीं है, चूँकि वह स्वायत्तशासी संस्था है और ७४वें संविधान संशोधन के आधार पर और भी उनको स्वायत्ता प्रदान करनी है, राज्य सरकार अगर उनके ऊपर कोई निर्णय थोपेगी तो निश्चित रूप से उसकी स्वायत्ता खण्डित होगी । मैं यह चाहता हूँ कि इसके सन्दर्भ में जो संबंधित निकाय हैं, निश्चित रूप से कर्मचारियों के हित में वे निर्णय लें ।

श्री रामदेव वर्मा : अध्यक्ष महोदय, कम से कम सरकार यह तो भेज दे कि यह एग्रीमेंट हुआ है, इसपर विचार करें । सरकार कम से कम निकायों को निर्देशित तो करे ।

अध्यक्ष :देख लेंगे ।